भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
WP&P Coordination Directorate

सत्यमेव जयते

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab, Delhi-110032 email: gopalrti7@gmail.com .का RTI क्रं CWCND/R/X/23/00013 दिनांक 03-08-2023 और CWCND/R/T/00135 दिनांक:25-07-2023 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध मे।
(Information sought under RTI Act by Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab, Delhi-110032 email: gopalrti7@gmail.com vide RTI application No. CWCND/R/X/23/00013 dated 03-08-2023 and CWCND/R/T/00135 dated:25-07-2023 –reg)

इस कार्यालय में 08-08-2023 को केन्द्रीय जल आयोग के अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2023/RTI/1231-35 दिनांक:07-08-2023 और A-49012/8/2023/RTI/1145-48 दिनांक:26-07-2023 से प्राप्त Shri Gopal Prasad का दिनांक 03-08-2023 आवेदन के संबंध मे जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

[With reference to above RTIs Application, which was transferred to this office from Under Secretary & Nodal Officer, RTI cell, CWC, New Delhi on 08-08-2023, vide letter no. A-49012/8/2023/RTI/1231-35 Dated: 07-08-2023 and A-49012/8/2023/RTI/1145-48 dated:26-07-2023 Information available in WP&P Wing of CWC, is provided as below:]

क्रं.सं	वांछित सूचना/ information Requested	उपलब्द सूचना/ Available information
1.	साबी नदी के उदगम स्थान राजस्थान जो हरियाणा होते हुए दिल्ली आती थी, वर्तमान मे दिल्ली के नजफगढ़ नाले मे जब और जिन कारणों से समाहित हो गई एवं वर्तमान में साबी नदी का अस्तित्व गईं कारणों से समाप्त हो गई, के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।	संबंधित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। Further, it is to inform that, planning, development and management of water resources projects are done by the concerned State Government based on their own resources & priority. The Central Government provides technical and financial support on a case by case basis through various schemes like AIBP, FMP and PMKSY based on the proposals of the respective State Government
2.	साबी नदी को पुनर्जीवित करने की योजना और उसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड एवं दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के बजट, खर्च,प्रस्ताव, सर्वेक्षण,अध्ययन, रिपोर्ट से संबंधित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।	
3.	यमुना का वास्तविक स्वरूप नदी अथवा नाला होने	

	की जानकारी ।	
4.	नदी अपने उद्गम से। समुद्र में विलीन होने तक नदी के किनारे के उन सभी राज्यों को पानी देने अथवा उन राज्यों का उस नदी पर अधिकार होने के संदर्भ में हरियाणा के ताजेवाला डैम में नदी का पानी जिन कारणों से रोका जाता है और जिन कारणों से शेष राज्यों में पानी का अभाव हो चुका है, की वर्तमान वैधानिक स्थिति, मूल समस्या, एवं समाधान, दोषियों पर कार्रवाई से संबंधित जानकारी के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि	तत्कालीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक **12** मई, 1994 को यमुना के सतही प्रवाह के आवंटन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन)प्रतिलिपि **अनुलग्नक -** I के रूप में संलग्न) हस्ताक्षरित किया गया समझौता ज्ञापन के अनुसार, ओखला बैराज तक यमुना की औसत वार्षिक उपलब्धता 13.0 बीसीएम में से,बेसिन राज्यों के मध्य कुल 11.983 बीसीएम (पानी अनुप्रवाह में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रवाह और अनुपयोगी बाढ़ उत्प्लव के कारण 0.68 बीसीएम को छोड़कर) : निम्नानुसार आवंटित किया गया था हरियाणा - 5.730 बीसीएम.1 तत्कालीन उत्तरप्रदेश - 4.032 बीसीएम.2 राजस्थान - 1.119 बीसीएम.3 हिमाचलप्रदेश - 0.378 बीसीएम.4 दिल्ली - 0.724 बीसीएम.5 इसके अलावा, यमुना नदी पर हथिनी कुंड बैराज के निर्माण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौते (प्रतिलिपि **अनुलग्नक - 2** के रूप में संलग्न) के अनुसार, हरियाणा हथिनी कुंड बैराज और उसमें मौजूद नियामकों का निर्माण,संचालन और रखरखाव करेगा। बैराज की लागत शुरू में हरियाणा द्वारा वित्तपोषित की जाएगी। इसके बाद, हेडरेगुलेटर की लागत सहित बैराज की लागत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा साझा की जाएगी।

यदि आप इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी/जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं जिसका पता नीचे दिया गया है।

[In case you are not satisfied with the information/ reply provided by this office, you may directly prefer an appeal within 30 days from the receipt of this letter to the first appellate authority whose address is given as under.]

Designation & address of First Appellate Authority in respect of WP&P wing of CWC	Chief Engineer (PAO), Central Water Commission, 7th Floor (S), Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi – 110066. ☎:011-26103561. 🖂: ceprjap@nic.in

निदेशक Director
ज.आ.एवंप. स.नि. तथामुख्यजनसूचनाअधिकारी WP&P (C) & CPIO

To,

1. Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab,

Delhi-110032, email: gopalrti7@gmaiL.com

2. Under Secretary and Nodal Officer, RTI Cell with reference to letter No A-49012/8/2023/RTI/1231-35 Dated:07-08-2023 for kind information and further necessary action please

(Applicant may find the RTI reply correspondence at http://cwc.gov.in/rti-reply)

तृतीय तल (द0), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम
नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011 29583225 , फैक्स : 011 29583209
ई मेल: wppcdte@nic.in
जल संरक्षण - सुरक्षित भविष्य

3rd FLOOR (S), SEWA BHAWAN, R.K.PURAM
NEW DELHI-110066
Tel. 01129583225 :
Fax: 011 29583209
Email :- wppcdte@nic.in
Conserve Water- Save Life

RTI of Shri Gopal Prasad US 1145-48